न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा

मुकदमा नम्बर 118/2010

निर्णय दिनांक 24.3.2017

1. स्व. बाबूखॉ पुत्र 1/1 गुलजान 1/2 जमालदीन 1/3 सिकन्दर खान 1/4 महरदीन 1/5 मनोहर अली 1/6 मंजूद अली 1/7 मु. बिस्मिल्ला 1/8 मु. मेमुना पुत्र पुत्रियां स्व. बाबू खॉ तेली (मुसलमान) निवासी कुकनिया तहसील नोखा जिला बीकानर 2/9 मु. पाना पत्नी स्व. बाबूखॉ तेली (मुसलमान) निवासी कुकनिया तहसील नोखा जिला बीकानर 2. कालूखॉ पुत्र श्यामदीन पुत्र स्व. बाबूखॉ 2/1 मु. बशीरन पत्नी स्व. श्यामीन पुत्र स्व. बाबूखा तेली (मुसलमान) निवासी कुकनिया तहसील नोखा जिला बीकानर

———वादीगण

बनाम

1. सुगना पुत्र लच्छा कौम नायक निवासी ग्राम कुकनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर 2. स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा

———प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मौहम्मद हुसैन अधिवक्ता वादीगण की तरफ से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 18892 (ए) आरटीए**

यह वाद स्व. बाबूखॉ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम कुकनिया का स्थाई निवासी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम कुकनिया का निवासी था तथा अब उसके कोई भी वारिश नहीं है । प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट को पक्षकार बनाया गया है जो फोरमल पक्षकार है इसलिए नाटिस दिया जाना जरूरी नहीं है । वादी के पिता मदा वल्द भूरा कौम तेली निवासी कुकनिया के नाम ग्राम कुकनिया में खसरा नम्बर 196 में 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि बतौर कब्जा कात में थी जिन्हें वे जीवन प्रयन्त काश्त करता आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कृषक के रूप में सुगना वल्द लच्छा कौम नायक निवासी कुकनिया का नाम भी दर्ज हो गया । सुगना लच्छा का नौकर था तथा उनके घर ही रहता था एवं उनके साथ ही उनका काश्तकारी का काम करता था । वह शादीशुदा नहीं था तथा न ही अन्य कोई वारिस उसका था । रेवन्यु रिकार्ड में गलती से सुगना का नाम मदा के साथ ही दर्ज हो गया जो त्रुटि वश हो गया था । यदपि सुगना की कृत्यु 1958 के अंतिम माह में हो गई तथा वादी के पिता मदा की मृत्यु 2000 वर्ष में हो गई उसके बाद लगातार उपरोक्त खसरे की भूमि को वादी बतौर खातेदार बिना किसी रोक टोक के काश्त करता चला आ रहा है । खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा जो कुकनियां में स्थित है । कुछ समय पूर्व सेंटलमेंट अधिकारियों द्वारा उपरोक्त खसरे के ने खसरे नम्बर दर्ज किये गये जो खसरा नम्बर 291 रकबा 3.96 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 292 रकबा 0.10 हैक्टयर दर्ज किया गया है जिन्हें वादी काश्त करता आ रहा है । उपरोक्त खसरे की भूमि में सम्वत 2011–12 13 से 16 तक वादी के पिता मदा का नाम उपंरोक्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज है । लेकिन रेवन्यु अधिकारियों द्वारा इंतकाल संख्या 196 दिनांक 11.9.1958 को उपरोक्त भूमि का खातेदार सुगना वल्द लच्छा कौम नायक निवासी कुकनियां को बतौर खतेदार दर्ज कर दिया तथा उनके नाम इंतकाल दर्ज किया गया । रेवन्यु अधिकारिों को इस प्रकार से उसके नाम इंतकाल दर्ज करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था तथा न ही उन्हें कोई कानूनी हक था कि वह वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करते इस प्रकार उपरोक्त कृत्य वोईड है तथा कानून में उसका कोई औचित्य नहीं है । उपरोक्त भूमि को आज तक वादी के पिता तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी लगातार काश्त करता आ रहा

उप खण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

है । मौका पर आज भी उनका कब्जा काश्त है । उपरोक्त भूमि में वादी की ढाणी बनी हुई है खेत में पानी का कुण्डा बना हुआ है तथा खेत के चारों तरफ कांटों की बाड बनी हुई है । उपरोक्त खसरे में काश्तकार के नाम जब भी गिरदावरी हुई है वह वादी के पिता के नाम से ही दर्ज है बाद में सरकार द्वारा यह नियम बना दिया गया कि गिरदावरी उसी व्यक्ति के नाम होगी जिसका नाम रेवन्यु रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज होगा । उसके नाम गिरदावरी नहीं होगी जो मौका पर काबिज हो एवं काश्त करता हो । उपरोक्त इंतकाल का ज्ञान वादी द्वारा तहसील में रेवन्यु रिकार्ड की नकल लेने पर भी पता चला अन्यथा वादी उपरोक्त भूमि को अपने ही समझता था इसलिए बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत नकल लेने से ही पैदा हुई है ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुराना खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 291 रकबा 3.96 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 292 तादादी 0.10 हैक्टयर भूमि वाके रोही कुकनिया तहसील नोखा में स्थित है उपरोक्त खसरा में सम्वत 2012 की जमाबंदी में वादी के पिता का नाम बतौर टिनेन्ट दर्ज होने के कारण वादी को बतौर खातेदार टिनलेन्ट हक हकूक घोषित खातोदारी टिनेन्ट घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री फरमाई जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें ।

चिरनिषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस प्रकार घोषणा की जावे कि वादी को वादगत भूमि में कब्जा काश्त करने से बेदखल न करें काश्त करने से बेदखल न करे काश्त करने एवं प्राकृतिक उपज देने से न रोके प्रतिवादीगण वादी की भूमि में कब्जा न करे और न ही वादगत भूमि रहन बैय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल करें । इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर खातेदारी दिलाई जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस वादी इकतरफा सुनी गई । वादी द्वारा लिखित बहस पेश की कि वादीगण के पूर्वज मदा पुत्र भूरा ग्राम कुकनिया के पूर्व खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार सम्वत 2011–12 व 2013–16 तक बतौर खातेदार दर्ज थे, तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुगना पुत्र लच्छा हमारे परिवार के साथ ही निवास करता था तथा बतौर कृषि श्रमिक हमारे उक्त खेत में मजूदरी कतरा था, परन्तु राजस्व अमले ने इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 11.9. 1958 को हमारे हाली सुगना पुत्र लच्छा को हमारी क्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया । उक्त सुगना पुत्र लच्छा वर्ष 1958 के अंतिम दिनों में फौत हो चुका था । परन्तु वादीगण के दादा स्व. मदा पुत्र भूरा का ही जीवनपर्यन्त इस खेत पर कब्जा काश्त रहा तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात हमारे पिता/पति स्व. बाबूखां पुत्र मदाखां का कब्जा काश्त रहा, हमारे पिता/पति स्व. बाबूखां का स्वर्गवास दिनांक 4.5.2016 को हो चुका है, इसके पश्चात हम वादीगण जो स्व. बाबूखां के कानूनी वारीसान है बतौर वादीमण इस वादपत्र में पक्षकार बनये है । प्रतिवादी संख्या 1 सुगना वर्ष 1958 के अंतिम दिनांक में अविवाहित एवं लावल्द फौत हो चुका है तथा समाचार पत्र में उसके किसी वारिस होने की स्थिति में उसे भी सार्वजनिक नोटिस से इतिला दी गई थी, तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश माननीय न्यायालय ने दिनांक 7.10.2015 को प्रदत्त किये है । उक्त वादगत भूमि नवीन सेटलमेंट में खसरा नम्बर 291 रकबा 3.96 हैक्टयर व खसरा नम्बर 292 रकबा 0.10 हैक्टयर-कुल किता 2 कुल रकबा 3.97 हैक्टयर के रूप में फिट की गई, वादीगण के पिता/दादा जीवन पर्यन्त उक्त वर्णित 3.97 हैक्टयर भूमि वाके रोही ग्राम कुकनिया पर निरन्तर काबिज काश्त रहे है, मौके पर आज तक किसी प्रकार का विवाद नहीं है । वादीगण के दादा सम्वत 2011–12 में वादगत भूमि के खातेदार दर्ज रहे है, अतः सुगना प्रतिवादी को इस वादगत भूमि का खातेदार दर्ज करने का आदेश बिना कानूनी आधारों के जारी किया गया वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये जारी किये गये थे जो void-ab-intio एवं वादीगण एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी अधिकारों पर कतई तौर पर निष्प्रभावी है । वादीगण ने राजस्व अभिलेखां की प्रमाणित प्रतिलिपियों व साक्ष्यों से एवं अभिलेखों को प्रदर्श कर अपना दावा साबित किया है । वादीगण के कथनों के समर्थन में

उप खण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

निम्नलिखित नजीरात पेश की है –RRD 1975 NUC पृष्ठ संख्या 45, RRD 1975 पृष्ठ संख्या 272–276, RRD 1988 पृष्ठ संख्या 133–139, RRD 1975 पृष्ठ संख्या 27–28, RRD 1968 पृष्ठ संख्या 219–221, DNJ 1996 पृष्ठ संख्या 1–3, DNJ 1993, SC पृष्ठ संख्या 166–168, RRD 1958 पृष्ठ संख्या 182–186, RRD 1955 पृष्ठ संख्या 131–139

अतः तर्को व नजीरों के आधार पर वादीगण को उक्त वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं वादीगण के पक्ष में डिकी फरमाई जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी द्वारा वाद में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि मदा वल्द भूरा कॉम तेली के कितने जायज वारिस है । वादीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हों कि सुगना उनका नौकर था तथा हाली होने के कारण उसका नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया हों । जमाबंदी सम्वत् 2013–16 के अनुसार सुगना वल्द लाछा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.1958 को आरटीए की धारा 15 के तहत पूर्व से ही खातेदारी दी हुई है । जिसके आधार पर सुगना के नाम इंतकाल दर्ज किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त गिरदावरियों में कॉलम संख्या 5 मं सुगना वल्द लाच्छा कोम नायक सा. देह अंकित किया हुआ है । सुगना की मृत्यु कब हुई उसका कोई भी प्रमाण वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके कारण उक्त भूमि स्वर्ण जाति के सदस्य को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती । प्रतिवादी संख्या 1 जिसे धारा 15 के तहत भूमि की पूर्व से ही खातेदारी दी हुई है उसे किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी को खसरा नम्बर खसरा नम्बर 291 रकबा 3.96 हैक्टयर व खसरा नम्बर 292 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.97 हैक्टयर वाके रोही कुकनिया की खातेदारी वादीगण के नाम करना उचित नहीं समझते है । अतः वादी वाद खारिज किया जाता है ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय आज दिनांक 24.3.2017 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा (बीकानेर)

उप खण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner